मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-7

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

मंगलवार, दिनांक 14 जुलाई, 2009 (आषाढ़ 23, 1931)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.31 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 19 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 105 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 92 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. अध्यक्षीय व्यवस्था

श्रीमती जमुनादेवी, नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस पक्ष के अनेक सदस्यगण द्वारा शहडोल जिले में बैगा आदिवासी कन्याओं के कथित कौमार्य परीक्षण सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव एवं ध्यानाकर्षण की सूचनाओं को स्वीकार कर सदन में चर्चा की मांग की गई। इस दौरान डॉ. गोविन्द सिंह एवं श्री रामनिवास रावत, सदस्यगण द्वारा आसंदी के प्रति अनुचित शब्दावली का प्रयोग किया गया एवं कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण द्वारा गर्भगृह में आकर नारेबाजी की गई। आसंदी के निर्देश पर कुछ समय बाद सदस्यगण अपने स्थान पर गए।

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि इस गंभीर विषय पर सदन में चर्चा कराई जाएगी किन्तु नेता प्रतिपक्ष एवं उपनेता के कथन के दौरान कांग्रेस के अधिकांश सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलना अशोभनीय व्यवहार करना, गर्भगृह में आना आपत्तिजनक है।

3. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री पारस सकलेचा, सदस्य की रतलाम शहर के खुले नाले को ढांके जाने,

(2) डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्य की भोपाल के कोलार नगर पालिका की सड़कों के जर्जर होने,

(3) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर हरीसिंह एवं जौरा का पुरा के शासकीय कन्या विद्यालय में छात्राओं को साईकिल न दी जाने.

(4) श्री पुरूषोत्तम दांगी, सदस्य की प्रदेश में सूखा ग्रस्त जिलों में पशु चारे की व्यवस्था करने,

(5) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की प्रदेश के शिक्षा केन्द्रों में मोबाइल शिक्षकों की सेवाएं समाप्त किये जाने,

(6) श्री पांचीलाल मेड़ा, सदस्य की धार जिले के धरमपुरी के पत्थर की खदानों की ब्लास्टिंग से ग्रामीणों के मकानों को क्षति होने,

(7) श्री ब्रजराज सिंह, सदस्य की श्योपुर हांसिलपुर का प्रशासकीय नियंत्रण जल संसाधन सबलगढ़ किये जाने,

(8) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की भिण्ड के लहार के ग्राम अजनार के कृषक के खेतों पर असमाजिक तत्वों द्वारा कब्जे किये जाने,

(9) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य की सनावद के बड़वाह में अनुदान प्राप्त दिगम्बर जैन स्कूल के शिक्षकों को वेतन न दिये जाने तथा

(10) श्री महेन्द्र सिंह, सदस्य की रतलाम के ग्राम रियामन में पुलिस द्वारा सम्पन्न लोगों का पक्ष लिये जाने संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं.

4. ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री यादवेन्द्र सिंह, श्री अजय यादव सदस्य ने टीकमगढ़ कृषि उपज मंडी में कृषकों की उपज बिचौलियों द्वारा हड़पे जाने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(2) श्री राधेश्याम पाटीदार, सदस्य ने मंदसौर जिले में सूखे से पशुओं के लिए चारे-पानी का अभाव होने की ओर राज्यमंत्री राजस्व का ध्यान आकर्षित किया।

श्री करण सिंह वर्मा, राज्यमंत्री राजस्व ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. स्वागत

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री सुखराम सिंह यादव, सभापति, उत्तरप्रदेश विधान परिषद एवं श्री रजा मुराद, सुप्रसिद्ध फिल्म कलाकार की अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थिति पर सदन की ओर से स्वागत-उल्लेख किया गया.

6. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्री जयसिंह मरावी, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

समिति ने दिनांक 17 जुलाई, 2009 को चर्चा के लिये आने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित समय अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निर्धारित करने की सिफारिश की है:-

अशासकीय संकल्प	शुक्रवार, दिनांक 17 जुलाई, 2009	निर्धारित समय
1. (क्रमांक-4, 41)	चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, श्री आरिफ अकील	45 मिनट
2. (क्रमांक-1, 37)	सर्वश्री रमेश प्रसाद खटीक, ठाकुरदास नागवंशी	35 मिनट
3. (क्रमांक-6)	श्री केदारनाथ शुक्ल	35 मिनट
4. (क्रमांक-13)	श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी	35 मिनट

श्री जयसिंह मरावी, सभापति ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7. राज्यमंत्री वन का वक्तव्य

श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री वन ने दिनांक 27 फरवरी, 2007 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 33 (क्रमांक 1335) एवं दिनांक 30 नवम्बर, 2007 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्रमांक 450) के उत्तरों में संशोधन करने संबंधी वक्तव्य दिया।

8. वर्ष 2009-2010 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा का पुनर्ग्रहण

दिनांक 13 मार्च 2009 से प्रारंभ हुई चर्चा के क्रम में निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(9) श्री रामनिवास रावत

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।

(10) श्री रामलखन सिंह

(11) श्री मनोहर ऊंटवाल

(12) श्री गोविन्द सिंह राजपूत

9. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक मंगलवार, दिनांक 14 जुलाई, 2009 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयक, नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय तथा वर्ष 2009-2010 के आय व्ययक में सम्मिलित मंत्रियों के विभिन्न मांग समूहों पर चर्चा के लिए उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :-

क्र.	शासकीय विधेयक एवं अन्य कार्य	निर्धारित समय
1.	महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 10 सन् 2009)	30 मिनिट
2.	मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2009 (क्रमांक 11 सन् 2009)	30 मिनिट
3.	प्रदेश में व्याप्त विद्युत संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी तथा डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की नियम 139 के अधीन सूचना पर चर्चा	1 घण्टा 30 मिनट
4.	प्रदेश में हो रहे लगातार अपराधों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी तथा डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की नियम 139 के अधीन सूचना पर चर्चा	1 घण्टा 30 मिनट

वर्ष 2009-2010 के आय-व्ययक में सम्मिलित मंत्रियों के विभिन्न मांग समूहों पर चर्चा के लिए निर्धारित समय

क्र.	प्रस्तावक मंत्री	मांग संख्या का विवरण	निर्धारित समय
(1)	श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री	1-सामान्य प्रशासन 2-सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय 48-नर्मदा घाटी विकास 65-विमानन.	2 घन्टे 30 मिनिट

(2)	श्री बाबूलाल गौर, मंत्री	22-नगरीय प्रशासन एवं विकास-नगरीय निकाय 53-अनुसूचित जाति उपयोजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता 68-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता 72-भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास 75-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता.	2 घन्टे
(3)	श्री राघवजी, मंत्री	6-वित्त 7-वाणिज्यिक कर 31-योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी 38-रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय 50-बीस सूत्रीय कार्यान्वयन 60-जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय 74-वित्त विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	
(4)	श्री जयंत मलैया, मंत्री	21-आवास एवं पर्यावरण 23-जल संसाधन 40-जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-आयाकट 45-लघु सिंचाई निर्माण कार्य 57-जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	2 घन्टे 30 मिनिट
(5)	श्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री	11-वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार 28-राज्य विधान-मंडल 46-विज्ञान और टेक्नॉलाजी 56-ग्रामोद्योग 69-सूचना प्रौद्योगिकी 78-उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण.	2 घन्टे 30 मिनिट
(6)	श्री गोपाल भार्गव, मंत्री	15-अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता 30-ग्रामीण विकास 52-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता 59-ग्रामीण विकास से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं 62-पंचायत 80-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	2 घन्टे 30 मिनिट

(7)	श्री अनूप मिश्रा, मंत्री	12-ऊर्जा 19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 61-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं 73-त्वरित विद्युत विकास से संबंधित व्यय 79-चिकित्सा शिक्षा.	2 घन्टे 30 मिनिट
(8)	श्री जगदीश देवड़ा, मंत्री	3-पुलिस 4-गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय 5-जेल 36-परिवहन.	2 घन्टे 30 मिनिट
(9)	श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, मंत्री	26-संस्कृति 32-जनसंपर्क 51-धार्मिक न्यास और धर्मस्व.	1 घण्टा
(10)	श्री नागेन्द्र सिंह, मंत्री	24-लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल 42-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल 67-लोक निर्माण कार्य-भवन 76-लोक निर्माण से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	2 घन्टे 30 मिनिट
(11)	श्रीमती अर्चना चिटनीस, मंत्री	27-स्कूल शिक्षा (प्रारम्भिक शिक्षा) 44-उच्च शिक्षा 47-तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण 70-तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजना 77-स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारम्भिक शिक्षा को छोड़कर).	2 घन्टे
(12)	श्री जगन्नाथ सिंह, मंत्री	33-आदिम जाति कल्याण 41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 49-अनुसूचित जाति कल्याण 64-अनुसूचित जाति उपयोजना.	2 घन्टे
(13)	डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, मंत्री	13-किसान कल्याण तथा कृषि विकास 14-पशुपालन 16-मछलीपालन 54-कृषि, अनुसंधान एवं शिक्षा 63-अल्पसंख्यक कल्याण 66-पिछड़ा वर्ग कल्याण.	2 घन्टे

(14)	श्री गौरीशंकर चतुर्भज बिसेन, मंत्री	17 सहकारिता 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी.	2 घन्टे 30 मिनिट
(15)	श्री तुकोजी राव पवार, मंत्री	37-पर्यटन 43-खेल और युवक कल्याण.	1 घन्टा
(16)	श्री करण सिंह वर्मा, मंत्री	8-भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन 9-राजस्व विभाग से संबंधित व्यय 18-श्रम 35-पुनर्वास 58-प्राकृतिक आपदा एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय.	2 घन्टे
(17)	श्री पारस जैन, राज्यमंत्री	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण.	1 घन्टा
(18)	श्रीमती रंजना बघेल, राज्यमंत्री	34-समाज कल्याण 55-महिला एवं बाल विकास.	1 घन्टा
(19)	श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री	10-वन 25-खनिज साधन 29-विधि और विधायी कार्य 71-जैव विविधता (बायो-डायवर्सिटी) तथा जैव प्रौद्योगिकी (बायो टेक्नॉलाजी).	1 घन्टा 30 मिनट

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभी अध्यक्ष महोदय ने शासकीय विधेयकों, नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय तथा वित्तीय कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(1.05 बजे से 2.33 बजे तक अन्तराल)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

10. वर्ष 2009-2010 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा का पुनर्ग्रहण (क्रमशः)

(13) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(14) श्री यादवेन्द्र सिंह
(15) श्री मदन गुशवाह
(16) श्रीमती मालिनी गौड़
(17) डॉ. कल्पना परुलेकर
(18) श्री राधेलाल बघेल
(19) श्री शांतिलाल धवाई
(20) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल
(21) श्री राजेश कुमार वर्मा

(22) डॉ. प्रभुराम चौधरी
(23) श्री मनीराम धाकड़
(24) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार
(25) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर
(26) श्री परसराम मुदगल
(27) श्रीमती जमुनादेवी, नेता प्रतिपक्ष

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने सामान्य चर्चा का उत्तर दिया।

14. समितियों का निर्वाचन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में घोषणा की गई कि लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समितियों के लिए क्रमशः ग्यारह-ग्यारह-ग्यारह तथा पन्द्रह सदस्यों के निर्वाचन के सिलसिले में घोषित कार्यक्रमानुसार नाम वापसी के पश्चात् संबंधित समितियों के लिए जितने सदस्य निर्वाचित किए जाने हैं उतने ही उम्मीदवार शेष हैं अतः मैं, उक्त समितियों के लिए निम्नानुसार सदस्यों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित करता हूँ :-

(1) लोक लेखा समिति के लिए 11 सदस्यों का निर्वाचन

1. श्री अरविन्द भदौरिया
2. श्री ओमप्रकाश वीरेन्द्र कुमार सखलेचा
3. डॉ. गोविन्द सिंह
4. डॉ. नरोत्तम मिश्रा
5. डॉ. निशिथ पटेल
6. सुश्री मीना सिंह
7. श्री लक्ष्मण तिवारी
8. डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ
9. श्री विश्वास सारंग
10. श्री शैलेन्द्र जैन
11. श्री हरेन्द्रजीत सिंह "बब्बू"

डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया जाता है।

(2) प्राक्कलन समिति के लिए 11 सदस्यों का निर्वाचन

1. श्री अजय विश्नोई
2. श्री अलकेश आर्य
3. श्री उमाशंकर गुप्ता
4. राव देशराज सिंह यादव

5. श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल "गुड्डा"
6. डॉ. भानु राणा
7. श्री राकेश शुक्ला
8. श्री रामनिवास रावत
9. श्री रामलखन सिंह
10. श्री सुखदेव पांसे
11. श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी

श्री अजय विश्नोई, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया जाता है।

(3) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिए 11 सदस्यों का निर्वाचन

1. श्री अंतर सिंह आर्य
2. श्री आत्माराम पटेल
3. श्री तुलसीराम सिलावट
4. श्री दीपक कैलाश जोशी
5. श्री ध्रुवनारायण सिंह
6. श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन.पी.)
7. श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह
8. श्री भंवर राजा मानवेन्द्र सिंह
9. श्री यशपाल सिंह सिसौदिया
10. श्री यादवेन्द्र सिंह
11. श्री शरद जैन "एडवोकेट"

श्री अंतर सिंह आर्य, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया जाता है।

(4) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए 15 सदस्यों का निर्वाचन

1. श्री जीतू जिराती
2. श्री ताराचंद बावरिया
3. श्री देवेन्द्र वर्मा
4. श्री धूलसिंह डाबर
5. डॉ. प्रभुराम चौधरी
6. श्री प्रेमनारायण ठाकुर
7. श्री बालाराम बच्चन
8. श्री बिसाहूलाल सिंह
9. श्री मनोहर ऊंटवाल
10. श्री मोती कश्यप
11. श्री खटीक रमेश प्रसाद
12. श्री राधेश्याम पाटीदार
13. श्री रामगरीब कोल
14. श्रीमती ललिता यादव
15. श्री लाखन सिंह यादव

श्री मोती कश्यप, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया जाता है।

(5) जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रबंध मंडल के लिए 3 सदस्यों का निर्वाचन

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रबंध मंडल के लिए राज्य विधान सभा के तीन सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में घोषित किए गए कार्यक्रमानुसार, नाम वापसी के पश्चात् केवल तीन उम्मीदवार शेष हैं, चूंकि प्रबंध मंडल के लिए केवल तीन सदस्य ही निर्वाचित किए जाने हैं अतः, मैं, निम्नानुसार सदस्यों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित करता हूं :-

1. श्री केदारनाथ शुक्ल
2. श्री नरेन्द्र त्रिपाठी
3. श्री सुनील जायसवाल

(6) कार्य मंत्रणा समिति के रिक्त एक स्थान की पूर्ति हेतु नामनिर्देशन

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि वर्ष 2009-2010 की अवधि में सेवा करने के लिए दिनांक 13 जनवरी, 2009 को गठित की गई कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य श्री सज्जन सिंह वर्मा के रिक्त एक स्थान की पूर्ति हेतु मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 203 (1) सहपठित नियम 177 (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में एतद् द्वारा श्री हुकुम सिंह कराड़ा, सदस्य को शेष अवधि के लिए कार्य मंत्रणा समिति का सदस्य नाम-निर्दिष्ट किया जाता है।

15. माननीय सदस्यों हेतु प्रश्न एवं बजटीय प्रक्रिया का प्रशिक्षण कार्यक्रम

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि नव निर्वाचित माननीय सदस्यों हेतु दिनांक 15 एवं 16 जुलाई, 2009 को प्रातः 9.00 से 10.00 बजे तक प्रश्न एवं बजटीय प्रक्रिया हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑडीटोरियम हॉल में रखा गया है। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे कल दिनांक 15 जुलाई, 09 को प्रातः 9.00 से 10.00 बजे तक प्रश्नों की प्रक्रिया के संबंध में तथा दिनांक 16 जुलाई, 09 को प्रातः 9.00 से 10.00 बजे तक बजटीय प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु ऑडीटोरियम हॉल में उपस्थित होने का कष्ट करें।

अपराह्न 5.13 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 15 जुलाई, 2009 (आषाढ़ 24, 1931) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक स्थगित की गई।

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.